न्यूज़ टुडे

घड़ियाल और स्लॉथ बेयर (भालू) को 'प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' में शामिल करने की सिफारिश की गई

घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को "**वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-IDWH)**" के तहत '**प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम**' में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है।

- इन प्रजातियों की सिफारिश **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** की ओर से गठित **स्थायी समिति (SC-NBWL)** ने की है। इस समिति को **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत वन्यजीवों और वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया है।

घड़ियाल के बारे में

- **पर्यावास (Habitat):** यह प्रजाति ज्यादातर मीठे पानी की नदियों में पाई जाती है। मुख्य रूप से **गंगा** की सहायक नदियों- **चंबल और गीरवा (भारत में) तथा राप्ती-नारायणी नदियों (नेपाल में)** में पाई जाती है।
- **संरक्षण स्थिति (Conservation Status):**
  - **IUCN:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
  - **CITES:** परिशिष्ट-I (Appendix-I) में सूचीबद्ध।
- **विशेषताएं:**
  - इनकी **थूथन सभी मगरमच्छ प्रजातियों में सबसे पतली और लंबी** होती है।
  - वयस्क नर के थूथन के सिरे पर एक बड़ा बल्बनुमा उभार होता है, जिसे '**घड़ा**' (ghara) कहा जाता है।
  - यह सभी मगरमच्छ प्रजातियों में **सबसे अधिक जल में रहना पसंद** करती है।

स्लॉथ बेयर (भालू) के बारे में

- **पर्यावास (Habitat):** **भारत, श्रीलंका और नेपाल** की देशज (मूल) प्रजाति है।
  - यह भारत में 5 **जैव-भौगोलिक क्षेत्रों** में पाया जाता है — **प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान और पूर्वोत्तर भारत।**
- **संरक्षण स्थिति (Conservation Status):**
  - **IUCN:** वल्नरेबल।
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
  - **CITES:** परिशिष्ट-I (Appendix-I) में सूचीबद्ध।
- **विशेषताएं:**
  - **स्लॉथ बेयर** एक छोटा भालू होता है, जिसकी त्वचा **घने बालों वाली (shaggy coat)** होती है।
  - यह भोजन के लिए मुख्य रूप से **दीमकों और चींटियों पर निर्भर** रहता है।
  - यह **एकाकी प्राणी** होता है और सामान्यतः **रात्रिचर** (nocturnal) होता है।

CSS-IDWH के बारे में

- **उद्देश्य:** यह योजना राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को **वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गतिविधियों** के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- **IDWH के प्रमुख घटक:**
  - संरक्षित क्षेत्रों (**राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व**) को समर्थन प्रदान करना।
  - संरक्षित क्षेत्रों के बाहर **वन्यजीवों की सुरक्षा करना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम** करना।
  - **अति संकटग्रस्त (Critically endangered) प्रजातियों और उनके पर्यावासों** को बचाने के लिए **पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम** संचालित करना।
    - अब तक **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम** के अंतर्गत **हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि सहित 22 प्रजातियों** की पहचान की गई है।

'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया

इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये:

- **जीवित सांस्कृतिक परंपरा** को दर्शाते हैं;
- इनकी **स्थापत्य कला और तकनीकी योजना** बहुत ही विशिष्ट और अलग हैं;
- ये **महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं** से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं आदि।
  - ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले **भारत के 44वें स्थल/ स्मारक बन** गए हैं।
  - विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत **विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान** पर है।
  - **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** देश में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में

- **सामरिक सैन्य धरोहर (17वीं-19वीं शताब्दी ई.):** यह **12 किलों** का नेटवर्क है। ये सामरिक सैन्य दृष्टि, नवाचार, क्षेत्रीय अनुकूलन और वास्तुशिल्प संबंधी निपुणता को प्रदर्शित करते हैं।
  - इन किलों में **भौगोलिक समझ और रणनीतिक रक्षा योजना** की झलक देखने को मिलती है।
- **भौगोलिक विस्तार:** ये किले **महाराष्ट्र और तमिलनाडु** में फैले हुए हैं।
  - चयनित किलों में **तमिलनाडु में जिंजी किले के साथ-साथ महाराष्ट्र में सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग** शामिल हैं।
- ये तटीय चौकियों से लेकर पहाड़ी गढ़ों तक **विविध भौगोलिक क्षेत्रों** में स्थित हैं।

विश्व धरोहर स्थलों के रूप में चुने जाने संबंधी मानदंड

- विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए, स्थलों/ स्मारकों का **उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए तथा उन्हें दस चयन मानदंडों में से कम-से-कम एक को पूरा** करना होता है।
- केवल **विश्व धरोहर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश** ही अपने क्षेत्र में स्थित स्थलों के लिए नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
- नामांकित स्थल/ स्मारक का मूल्यांकन **अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद (ICOMOS) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा स्वतंत्र** रूप से किया जाता है।
- इस संबंध में अंतिम निर्णय **विश्व धरोहर समिति** द्वारा किया जाता है। **भारत 2021-25 तक इसका सदस्य है।**

भारत में पहली बार ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई

इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का वित्त-पोषण **पीएम ई-ड्राइव पहल** के तहत किया जाएगा।

ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना के बारे में

- **लक्ष्य:** इस योजना का मुख्य लक्ष्य **ई-ट्रकों के इस्तेमाल और उनके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा लॉजिस्टिक्स लागत एवं कार्बन उत्सर्जन को कम** करना है।
  - **डीजल ट्रक** भारत के कुल वाहनों का **केवल 3%** हैं, लेकिन वे परिवहन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **42% का योगदान** देते हैं।
- इस योजना में **मांग प्रोत्साहन को N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा:**
  - N2 श्रेणी में **3.5 टन** से अधिक और **12 टन** तक सकल वाहन भार (GVW) वाले ट्रक शामिल होंगे।
  - N3 श्रेणी में **12 टन** से अधिक और **55 टन** तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल होंगे।
  - प्रति वाहन अधिकतम **₹9.6 लाख** का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन खरीद **मूल्य में अग्रिम कटौती** के रूप में मिलेगा।

पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव/ E-DRIVE) के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)।
- **फोकस:** पीएम ई-ड्राइव का मुख्य फोकस **इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (e-3Ws), इलेक्ट्रिक-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक, ई-बस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) टेस्टिंग** पर है। वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन हैं।
- **उद्देश्य:**
  - इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेज़ी से अपनाने में मदद करना;
  - EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना;
  - घरेलू EV विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना;
  - सतत, स्वच्छ और दक्ष सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आदि।
- **पीएम ई-ड्राइव 'हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME) योजना' से अलग है:**
  - **दायरे का विस्तार:** यह FAME-II से आगे बढ़कर **ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर** को भी कवर करती है।
  - **स्क्रैपिंग से जुड़े प्रोत्साहन: ई-ट्रकों** के लिए यह **अनिवार्य** है, और **ई-बसों** के लिए इसे **प्राथमिकता** दी जाएगी।
  - **परीक्षण एजेंसियां:** इसमें **टेस्टिंग एजेंसियों को अपग्रेड** करने का प्रावधान भी है।

उत्तराखंड राज्य सरकार ने 'भूतापीय ऊर्जा नीति 2025' को मंजूरी दी

इस नीति का उद्देश्य **आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य भूतापीय संसाधनों का पता लगाने एवं विकास** करने के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy)

- यह पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त **ऊष्मीय (गर्मी) ऊर्जा** होती है।
  - यह ऊर्जा आंशिक रूप से **पृथ्वी के निर्माण के दौरान उत्पन्न हुई अवशिष्ट (residual) ऊष्मा** से और आंशिक रूप से ही **पृथ्वी के कोर और मेंटल के भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के निरंतर एवं स्वाभाविक रेडियोधर्मी विघटन/ क्षय** से उत्पन्न होती है।
- इस ऊर्जा को भू-तापीय तकनीक का उपयोग करके **हीटिंग और कूलिंग, विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा भंडारण** के लिए निकाला जाता है।
  - **परंपरागत भू-तापीय तकनीकें** उन जल-तापीय भंडारों का उपयोग करती हैं, जहां 'भू-तापीय ऊष्मा' **प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भूमिगत तरल पदार्थों के माध्यम से सतह तक पहुंचती** है।
  - **अलगी पीढ़ी की भू-तापीय तकनीक में गहराई से ऊष्मा को प्राप्त** किया जाता है। इसमें इंजीनियर प्रणालियों के माध्यम से **सतह से तरल पदार्थ को प्रसारित** किया जाता है। ये तकनीकें **जल-तापीय भंडारों पर निर्भर नहीं** होती।
    - इनमें **एन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स (EGSs) और क्लोज्ड-लूप जियोथर्मल सिस्टम्स (CLGSs)** तकनीकें शामिल हैं।
- **भारत में संभावनाएं:** जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, 2022 के अनुसार भारत में लगभग **10,600 मेगावाट** भू-तापीय ऊर्जा की संभावना है।
  - **पुगा और चुमाथांग (लद्दाख)** भारत के सबसे संभावनाशील भू-तापीय क्षेत्र हैं।
- **लाभ:**
  - 24x7 बिजली उत्पादन की क्षमता;
  - उच्च उपयोग दर (2023 में 75% से अधिक);
  - न्यूनतम उत्सर्जन आदि।
- **चुनौतियां:**
  - तुलनात्मक रूप से तकनीक की उच्च लागत;
  - सीमित अनुसंधान एवं विकास (R&D);
  - पर्यावरणीय चिंताएं;
  - लाइसेंस प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया आदि।

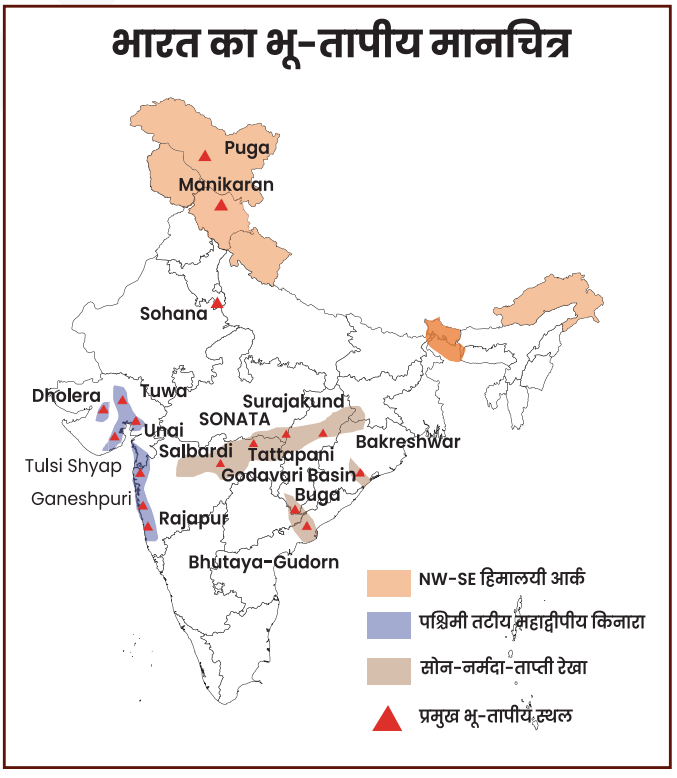

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:

- **जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, 2022:** यह भारत में भू-तापीय ऊर्जा की संभावनाओं का मानचित्रण करता है।
- **टास्क फोर्स का गठन:** भारत में भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD):** यह नई भू-तापीय तकनीकों से संबंधित अनुसंधान पर केंद्रित है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** आइसलैंड, सऊदी अरब और RETAP (रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म) के माध्यम से **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने "फ्रंटियर्स 2025: द वेट ऑफ टाइम" रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट नए पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालती है, इससे पहले कि वे वैश्विक या क्षेत्रीय संकट में परिवर्तित हो जाएं।

रिपोर्ट में उजागर किए गए मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे

- **गर्म होते क्रायोस्फीयर (हिमांकमंडल) में सूक्ष्मजीवों का फिर से सक्रिय होना:** जलवायु के गर्म होने के कारण निष्क्रिय अवस्था में पड़े सूक्ष्मजीव पुनः सक्रिय हो सकते हैं। इससे ये सूक्ष्मजीव नए पर्यावरण में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे ऐसे क्षेत्रों में पहले से मौजूद सूक्ष्मजीवों के अस्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके कारण रोगों का प्रसार हो सकता है। साथ ही, इससे जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीव बर्फ पिघलने के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे।
  - बर्फीले वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीवों को **साइक्रोफाइल्स** कहा जाता है।
- **नदियों के प्रवाह में अवरोध:** नदियों के प्रवाह में मौजूद सभी अवरोध (जैसे- बांध, वेयर या कम ऊंचाई वाले बांध, बैराज, कलवर्ट, स्लूस आदि) नदी पारिस्थितिकी-तंत्र को प्रभावित करते हैं।
  - **इन अवरोधों के प्रभाव:** इनके कारण जल के प्रवाह एवं तापमान, पर्यावास की गुणवत्ता और दशा, नदी के निचले मार्ग की ओर तलछट के परिवहन तथा मछलियों के प्रवास में बदलाव सहित देशज समुदाय का विस्थापन आदि देखने को मिल सकता है।
  - रिपोर्ट में नदी की प्राकृतिक स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए **इन अवरोधों को हटाना एक बेहतर रणनीति** के रूप में माना गया है।
    - **इन अवरोधों को हटाने से** नदी का सतत प्रवाह सुनिश्चित होगा और नदी पारिस्थितिकी-तंत्रों के मध्य परस्पर संपर्क भी पुनः बहाल होगा। इन अवरोधों के कारण वैश्विक स्तर पर नदियों का 89% जल प्रभावित होता है।
- **जनसांख्यिकीय चुनौती:** जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव, वायु प्रदूषण और बाढ़ जैसे पर्यावरणीय जोखिम बढ़ रहे हैं। ये जोखिम विशेष रूप से **वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के लिए खतरनाक हैं।**
- **बाढ़ की घटनाओं से पहले से मौजूद प्रदूषकों का पुनः फैलना: जल और तलछट में दीर्घकालिक प्रदूषक** (भारी धातु, कार्बनिक यौगिक आदि) पादपों एवं प्राणियों में प्रवेश कर संचयित हो सकते हैं (जैव संचयन)। अतः बाद में प्रदूषकों की बढ़ी हुई सांद्रता (जैव आवर्धन) खाद्य श्रृंखलाओं को संदूषित कर सकती हैं।

अन्य सुर्ख़ियां

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (ISRW) अधिनियम, 1956

केंद्र सरकार ने **पंजाब, हरियाणा और राजस्थान** के बीच जल-बंटवारा विवाद का समाधान करने के लिए गठित '**रावी और ब्यास जल अधिकरण**' के कार्यकाल को बढ़ा दिया है।

- यह अधिकरण (ट्रिब्यूनल) 1986 में **अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम,** 1956 के तहत गठित किया गया था।

ISRW अधिनियम, 1956 के बारे में

- ISRWD अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया था, ताकि राज्यों के बीच **अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल** विवादों का समाधान किया जा सके।
  - संविधान के **अनुच्छेद 262** के तहत संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए **कानून बनाने का अधिकार** दिया गया है।
- यह अधिनियम **सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को ऐसे जल-विवादों में हस्तक्षेप करने से रोकता** है जिन्हें किसी अधिकरण को सौंपा गया हो।

RhoDIS (राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम) इंडिया प्रोग्राम कार्यक्रम

असम वन विभाग ने गैंडे के सींगों की **DNA प्रोफाइलिंग** शुरू कर दी है और इसे **RhoDIS इंडिया डीएनए डेटा लाइब्रेरी** में जोड़ना शुरू कर दिया है।

'राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम (RhoDIS) इंडिया प्रोग्राम' के बारे में

- यह कार्यक्रम 2016 में **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में **वन्यजीव संस्थान** (WII), **असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा WWF इंडिया साझेदार** हैं।
- RhoDIS **वाइल्डलाइफ फॉरेन्सिक टूल** है। इसे विशेष रूप से **वन्यजीव से संबंधित अपराध के मामलों की जांच** के लिए विकसित किया गया है।
  - RhoDIS DNA **इंडेक्सिंग सिस्टम** का उपयोग करता है, जिसमें सिक्वेंसिंग के जरिए प्रत्येक गैंडे की **विशिष्ट आनुवंशिक पहचान** तैयार की जाती है।

WHO-महामारी समझौता (WHO Pandemic Agreement)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों ने 'WHO वैश्विक महामारी समझौता' पर **अंतर-सरकारी कार्य समूह (ICWG) की अपनी पहली बैठक** आयोजित की।

'WHO-महामारी समझौता' के बारे में

- यह समझौता अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के लिए सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और साधनों को निर्धारित करता है। इसके आधार पर **महामारी की रोकथाम, इससे निपटने की तैयारी और कार्रवाई के लिए वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र** को मजबूत किया जा सकेगा।
  - इसमें **टीका, उपचार और डायग्नोस्टिक को समान रूप से और समय पर उपलब्ध** कराना शामिल है।
- **मुख्य सिद्धांत:** यह समझौता **अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून, समानता, एकजुटता,** तथा सभी **व्यक्तियों की गरिमा, मानवाधिकारों** और **मौलिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण सम्मान** पर आधारित है।

अस्त्र मिसाइल

DRDO और **भारतीय वायु सेना** (IAF) ने **Su-30 Mk-I** लड़ाकू विमान से '**अस्त्र**' मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल **स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी** (RF) **सीकर** से लैस है।

अस्त्र मिसाइल के बारे में

- यह **स्वदेशी "बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल"** (BVRAAM) है।
- इसका उपयोग **बहुत तेज गति और दिशा बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों** को मार गिराने के लिए किया जाता है।
- इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन** (DRDO) ने विकसित किया है।
- यह मिसाइल **दिन-रात और हर मौसम** में कार्य करने में सक्षम है।
- इस मिसाइल की **मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक** है। यह अत्याधुनिक **मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से लैस** है।

AI अलायंस नेटवर्क (AIANET)

डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (DIF) ने पाकिस्तान के AI टेक्नोलॉजी सेंटर (AITeC) के AIANET में शामिल होने के आवेदन पर आपत्ति जताई है।

- डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, AIANET का संस्थापक सदस्य है।

AIANET के बारे में

- **परिचय:** यह एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क तथा कम्युनिटी है, जो अपने सदस्यों को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा सूचना और विशेषज्ञता साझा करने का मंच प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना ताकि दीर्घकालिक सतत समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- **सदस्य:** इसमें 17 सदस्य हैं।
- **प्रशासन:** इसे AI अलायंस रूस द्वारा प्रशासित किया जाता है।

फेंटेनाइल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटेनाइल से होने वाली मौत का हवाला देते हुए कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने को उचित ठहराया है।

- एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 2024 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में फेंटेनाइल के ओवरडोज से 112,000 मौतें दर्ज की गई।

फेंटेनाइल के बारे में

- फेंटेनाइल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है। इसे एनाल्जेसिक (दर्द निवारक) और एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग की अनुमति है।
  - यह दर्द-निवारक के रूप में मॉर्फिन से लगभग 100 गुना अधिक तथा हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होती है।
- इसे आम तौर पर अपाचे, चाइना गर्ल, चाइना टाउन, डांस फीवर, गुडफेलाज, जैकपॉट, किंग आइवरी, आदि नामों से बुलाया जाता है।
- इसके ओवरडोज से सामने आने वाले लक्षण:
  - त्वचा का ठंडा होना और पसीना आना,
  - शरीर नीला हो जाना (साइनोसिस),
  - कोमा, तथा श्वसन तंत्र फेल होना, जिससे मृत्यु भी हो सकती है।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)

स्विट्जरलैंड ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच हुए व्यापार समझौते की पुष्टि की।

- इससे भारत और EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- EFTA चार देशों का व्यापार समूह है। इसके सदस्य देश हैं; स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और आइसलैंड।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) के बारे में

- यह समझौता भारत ने EFTA के चार विकसित सदस्य देशों के साथ किया है।
- **बाध्यकारी प्रतिबद्धता:** अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का बाध्यकारी लक्ष्य रखा गया है।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से संबंधित प्रतिबद्धताएं TRIPS स्तर की हैं।
  - TRIPS से आशय है; बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू।

ट्रांस फैट

विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) को चेतावनी दी है कि ट्रांस फैट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से विकासशील देशों में पोषण पर बुरा असर पड़ सकता है।

ट्रांस फैट क्या है?

- इसे ट्रांस-फैटी एसिड (TFA) भी कहा जाता है।
- **परिभाषा:** ट्रांस फैट असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो औद्योगिक रूप से (हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा) बनाए जा सकते हैं या प्राकृतिक रूप से पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों (जैसे: मांस और दूध) में पाए जाते हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - ये बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के उदाहरण हैं; वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (VLDL) और लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन-कोलेस्ट्रॉल (LDL-c).
    - बैड कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों में जमा हो सकता है, जिससे वे सख्त और संकरी हो जाती हैं। इस वजह से दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
  - ट्रांस फैट को सूजन, अधिक वजन/मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बताया जाता है।

पीर पंजाल श्रेणी

भारतीय सुरक्षा बल पीर पंजाल श्रेणी में भगोड़े आतंकवादियों की तलाश के लिए गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं।

पीर पंजाल श्रेणी के बारे में:

- यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल तथा जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है।
- यह लघु हिमालय का एक भाग है। यह श्रेणी झेलम नदी से लेकर ऊपरी ब्यास नदी तक विस्तृत है।
- इसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर तक है और इसमें मुख्यतः ज्वालामुखीय चट्टानें पाई जाती हैं।
- **प्रमुख दर्रे:** पीर पंजाल दर्रा, बिदिल दर्रा, गोलाबघर दर्रा और बनिहाल दर्रा।
- **बहने वाली नदियां:** किशनगंगा, झेलम और चिनाब नदियां इस पर्वत-श्रेणी को काटती हुई बहती हैं।